रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112023-250269
CG-DL-E-25112023-250269

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 679] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 23, 2023/अग्रहायण 2, 1945
No. 679] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 23, 2023/AGRAHAYANA 2, 1945

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 862(अ).—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वन सेवा (परिविक्षक अंतिम परीक्षा) विनियम, 2016 उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वन सेवा (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण और मूल्यांकन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

क. "अकादमी" से इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी अभिप्रेत है;

ख. "अकादमी परिषद" से नियम 9 के अधीन गठित अकादमी परिषद् अभिप्रेत है;

ग. "निदेशक" से अकादमी का निदेशक अभिप्रेत है;

घ. "आतंरिक निर्धारण" से परिविक्षाधीन व्यक्तियों का सामान्य अनुशासन और उनके व्यक्तित्व के आधार पर अकादमी द्वारा किये जाने वाला निर्धारण अभिप्रेत है; और

ङ. "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसची अभिप्रेत है।

(2) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां, जिनका इन नियमों में प्रयोग हुआ है और उनको परिभाषित नहीं किया गया है किंतु उन्हें भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा), नियम, 1968 में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जो उनका उक्त नियमों में है।

3. प्रशिक्षण रूपविधान, विषय-वस्तु और पाठ्यक्रम– (1) अकादमी में दिए जाने वाले प्रशिक्षण का रूपविधान और उसकी विषय-वस्तु निम्नलिखित होगी, अर्थात् : -

चरण	अवधि	विषय-वस्तु
Iक	तेरह महीने	अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अकादमी के पाठ्यक्रम घटक
Iख	चार महीने	काडर राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों में इंटर्नशिप आन -दी -जॉब ट्रेनिंग के दौरान अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम घटक
II	तीन महीने	अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अकादमी के पाठ्यक्रम घटक
योग	बीस महीने	

(2) प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम ढांचे में मुख्य पाठ्यक्रम, वैकल्पिक पाठ्यक्रम, इंटर्नशिप परियोजनाएं या स्वतंत्र अध्ययन के पाठ्यक्रम और अनुसूची के भाग I में विहित विषय क्षेत्रों में रिपोर्ट कार्य शामिल होंगे, और साथ ही उसमें तत्स्थानी समनुदेशन के अंक वर्णित होंगे;

परंतु यह कि अकादमी परिषद समूह क, ख और ग में विषय क्षेत्रों के बीच अंकों के वितरण को उपांतरित कर सकती है, जो एक समूह में अधिकतम बीस प्रतिशत और एक से अधिक समूहों के बीच दस प्रतिशत तक हो सकता है, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक समूह के लिए अधिमान की सीमा इन समूहों के सकल के पच्चीस प्रतिशत से लेकर चालीस प्रतिशत तक रहे।

(3) पूर्व-व्यवस्थित विषय क्षेत्रों में विषयों और प्रकरणों की व्यापक सूची के साथ मुख्य पाठ्यक्रम और विषय क्षेत्रों या अध्ययन से संबंधित क्षेत्रों में वैकल्पिक पाठ्यक्रमों और परियोजनाओं या स्वतंत्र अध्ययन के पाठ्यक्रमों का आबंटन उसी प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाएगा और इसके साथ प्रशिक्षण के चरणों के दौरान इस प्रकार व्यौहार किया जाएगा जैसे क्रम और रीति में निदेशक अकादमी परिषद् की सिफारिशों के द्वारा अवधारित करे।

(4) पाठ्यक्रमों में विस्तृत पाठ्य-सामग्री, विषय-वस्तु और इनपुट वही होंगे जो प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रत्येक बैच के लिए निदेशक द्वारा अवधारित किए जाएं।

(5) प्रशिक्षण इनपुट और संयोजन में सैद्धांतिक और व्यावहारिक अध्ययन, अभ्यास, व्यावहारिक शिक्षण, पर्यटन, भ्रमण, इंटर्नशिप या विहित विषय क्षेत्रों से संबंधित अभिरुचियां शामिल होंगी और इन्हें मुख्य पाठ्यक्रमों, वैकल्पिक पाठ्यक्रमों और परियोजनाओं या स्वतंत्र अध्ययन के पाठ्यक्रम या अन्य समान शैक्षणिक या प्रशिक्षण मॉड्यूल के अधीन पूरा किया जाएगा जैसा अकादमी परिषद् की सिफारिश पर निदेशक द्वारा अवधारित किया जाए।

(6) अभ्यास, पर्यटन और भ्रमण उसी तरह से होंगे जैसा कि अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(7) अध्ययन-अध्यापन क्रियाकलापों में कक्षा और प्रयोगशाला सत्र, समुनदेशन और अभिरूचियां, अभ्यास, पर्यटन और भ्रमण आयेंगे जो कि अध्ययन सम्बन्धी उन विभिन्न साधनों का प्रयोग करके किये जायेंगे जिन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रारम्भ में प्रत्येक बैच के लिए निदेशक के द्वारा अवधारित किया जाए।

4. **अर्हता-विषय और कौशल.-**प्रत्येक परिवीक्षाधीन व्यक्ति से, अनुसूची के भाग 3 में उल्लिखित विषयों और कौशल में दक्षता के ऐसे मानक अभिप्राप्त करना अपेक्षित होगा।

5. मूल्यांकन- (1) प्रत्येक परिवीक्षाधीन व्यक्ति का मूल्यांकन प्रशिक्षण के दौरान, इन नियमों के अधीन निम्नलिखित सहित निर्धारण की विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से किया जाएगा :-

(क) लिखित और व्यावहारिक परीक्षाएं;

(ख) समनुदेशन और परियोजना कार्य;

(ग) अभ्यास, कौशल, पर्यटन और भ्रमण;

(घ) अर्हता परीक्षण; और

(ङ.) आंतरिक निर्धारण

(2) उप-नियम (1) के अधीन निर्धारण, अकादमी या अन्य स्थानों पर और ऐसी रीति में किया जाएगा जो निदेशक द्वारा उचित समझी जाए।

(3) विभिन्न निर्धारण संचालित करने का कार्यक्रम निदेशक द्वारा नियत किया जाएगा।

(4) अंकों के निबंधनों के अनुसार प्रदर्शन का अंतिम निर्धारण निम्न प्रकार से होगा:

क्र.सं.	मूल्यांकन की मद	अधिकतम अंक
1	(क) नियम 3 में विहित और अनुसूची के भाग 1 और भाग 2 में उल्लिखित विषय क्षेत्रों में मुख्य पाठ्यक्रम और अभ्यास, पर्यटन और भ्रमण	1300
	(ख) स्वतंत्र अध्ययन की परियोजनाएं या पाठ्यक्रम, वैकल्पिक पाठ्यक्रम और ऑन-जॉब-ट्रेनिंग रिपोर्ट	400
	उप-योग	1700
2	आंतरिक निर्धारण	300
3	कुल	2000
4	अर्हता परीक्षण	75

6. **आंतरिक निर्धारण -** (1) चरण 1क और 2 में प्रशिक्षण के दौरान सामान्य अनुशासन और व्यक्तित्व विकास के आधार पर अकादमी द्वारा अधिकतम दो सौ पचास अंक का आंतरिक निर्धारण किया जाएगा और उनका मूल्यांकन अकादमी द्वारा अवधारित मानकों के अनुसार किया जाएगा।

(2) प्रशिक्षण के चरण Iख के दौरान सामान्य अनुशासन और व्यक्तित्व विकास पर पचास अंकों का आंतरिक निर्धारण उनके संबंधित काडर राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में संबद्ध अभिहित प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा।

7. **प्रशिक्षण कार्यक्रम, अन्य प्रशिक्षणों और पाठ्यक्रमों आदि में उपस्थिति-** प्रत्येक परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रशिक्षण कार्यक्रम के सभी घटकों और इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन के लिए सभी निर्धारण परीक्षणों और परीक्षाओं में भाग लेना होगा और ऐसे अन्य गैर- मूल्यांकन प्रशिक्षण मदों या पाठ्यक्रमों या संगठनों और संस्थानों के साथ अभिरूचियों में भी भाग लेना होगा, जैसा निदेशक द्वारा निर्णय लिया जाए।

8. **निर्धारण या परीक्षाओं में मूल्यांकन के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण मानक और अर्हता परीक्षण के लिए मानक-** (1) नियम 5 के अधीन विहित मूल्यांकन में, प्रत्येक परिवीक्षाधीन व्यक्ति को अध्ययन, अभ्यास और पर्यटन के पाठ्यक्रमों में निर्धारण या लिखित और व्यावहारिक परीक्षाओं में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक अभिप्राप्त करने होंगे।

(2) नियम 4 के अधीन अर्हता परीक्षणों के लिए, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रवीणता के ऐसे मानक प्राप्त करने की आवश्यकता होगी जैसा अकादमी के निदेशक अवधारित करें।

9. **अकादमी परिषद -** (1) अकादमी परिषद इन नियमों के अधीन अवधारित परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के प्रशिक्षण का संचालन करेगी और उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए मॉनीटरी, पुनर्विलोकन, अद्यतन और सुधार कार्य करेगी।

(2) अकादमी परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1	निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी -	अध्यक्ष;
2	अपर महानिदेशक वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
3	अपर निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी	सदस्य;
4	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के तीन संकाय के सदस्य, निम्नानुसार हैं: प्रोफेसर (प्रभारी, सेवाकालीन प्रशिक्षण), अपर प्रोफेसर एवं परीक्षा नियंत्रक, सहायक प्रोफेसर, जिसे निदेशक के द्वारा नामनिर्देशित,	सदस्य;
5	निदेशक, वानिकी शिक्षा निदेशालय, देहरादून	सदस्य;
6	संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार	सदस्य;
7	वन महानिरीक्षक/संयुक्त सचिव, भारतीय वन सेवा प्रभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य;
8	महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद या महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी, जो उप-महानिदेशक के नीचे की पंक्ति का न हो,	सदस्य;
9	निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान या निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी जो वैज्ञानिक 'एफ' पंक्ति से नीचे का न हो-	सदस्य;
10	महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण या महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी जो संयुक्त निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो;	सदस्य;
11	निदेशक, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान या निदेशक, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी जो प्रोफेसर की पंक्ति से का न हो	सदस्य;
12	निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य उच्चतर शिक्षा या प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्यक्रमों का संचलन करने वाले अग्रणी संस्थानों या संगठनों के या सरकारी या गैर-सरकारी सेक्टर में वानिकी,वन्य-जीवन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, प्रशासन या अन्य सुसंगत क्षेत्रों में संलग्न संगठनों से तीन ज्येष्ठ संकाय सदस्याधिकारी; वानिकी, वन्य जीवन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण, प्रशासन या संसुगत क्षेत्रों से दो प्रतिष्ठित व्यक्ति। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के वन बल के प्रमुख या निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी द्वारा रोटेशन के आधार पर नामनिर्दिष्ट उनके प्रतिनिधि	सदस्य; और
13	प्रोफेसर (शिक्षाविद), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी	सदस्य-सचिव

(3) अकादमी परिषद के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात् : -

(i) प्रत्येक बैच के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को निम्नानुसार संचालित, विनियमित और मार्गदर्शित करना :

(क) नियम 3 के अधीन और अनुसूची के भाग 1 में उल्लिखित विषय क्षेत्रों के अधीन विषयों और प्रकरणों की सूची के साथ पाठ्यक्रमों का अवधारण करना;

(ख) प्रशिक्षण कार्यक्रम के चरण 1क और चरण 2 के दौरान निबंधनों की संख्या और अवधि और पाठ्यक्रमों की अवधि-वार अनुसूची के साथ पाठ्यक्रम ढांचे की सिफारिश या अनुमोदन करना;

(ग) प्रशिक्षण बैचों के लिए अकादमी संकाय द्वारा किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के डिजाइन, विषय वस्तु सेटिंग और पाठ्यविवरण, विषयों, प्रकणों और उनके विवरण के विवेचन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना और अनुसूची के भाग 1 में उल्लिखित विषय क्षेत्रों के बीच अंकों के वितरण में परिवर्तन की सिफारिश करना;

(घ) निर्धारण और मूल्यांकन की पद्धतियों को विनिर्दिष्ट या अनुमोदित करना और निरंतर निर्धारण के समुचित घटक का सुझाव सहित उसमें अंकन करना;

(ड.) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) नियम 1968 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम की बेंच मार्किंग के लिए समकालीन वृत्तिकों और शैक्षणिक प्रथाओं के अनुरूप पाठ्यक्रम ढांचे में आवश्यक अनुकूलन की सिफारिश करना।

(ii) प्रशिक्षण कार्यक्रम की मॉनीटरी, फीडबैक और पुनर्विलोकन करना;

(iii) परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को दिए गए प्रशिक्षण की प्रभावशीलता के निर्धारण के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षकों और सदस्यों की वार्षिक कार्यशाला संचालित करना और नियमित आधार पर सुधार के उपाय तैयार करना;

(iv) त्रिवार्षिक आधार पर योग्यता-आधारित प्रशिक्षण आवश्यकताओं के आवधिक निर्धारण सहित क्षेत्र और अन्य पणधारियों से फीडबैक अभिप्राप्त करना;

(v) प्रत्येक तीन वर्ष में पाठ्यक्रम ढांचे और मूल्यांकन की पद्धतियों का समग्र पुनर्विलोकन करना और इन नियमों के उपबंधों के भीतर समुचित समझे जाने वाले उपांतरणों की सिफारिश करना;

(vi) प्रशिक्षण और संबंधित शैक्षणिक क्रियाकलापों पर अनुसंधान क्रियाकलापों का मार्गदर्शन करना;

(vii) संकाय विकास कार्यक्रम का मार्गदर्शन करना;

(viii) नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करने, वानिकी, पर्यावरण, वन्य जीवन और मानव संसाधन क्षमता निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संस्थागत गठजोड़ के लिए तंत्र विकसित करने के लिए विशेष निकायों और संस्थाओं से परामर्श करना;

(4) अकादमी परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी और बैठक के लिए कोरम परिषद की सदस्यता का एक तिहाई होगा।

(5) अकादमी परिषद, इन नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन के क्रम में किसी भी आनुषंगिक मामले को भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1968 के उपबंधों के अनुसार हल करेगी।

अनुसूची

भाग 1

I.	समूह क: विषय क्षेत्र	निशान
	1. अवलोकन - वानिकी, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण;	50
	2. वनों और अन्य पारिस्थितिक तंत्रों का जीवन विज्ञान और पारिस्थितिकी	125
	3. वनों और अन्य पारिस्थितिक तंत्रों के जैवभौतिकीय पर्यावरणीय पहलू; पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन तथा जलवायु परिवर्तन का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	200
	उप-योग (समूह क विषय क्षेत्र)	375
II.	समूह ख: विषय क्षेत्र	
	4. वानिकी, वन्य जीवन और पर्यावरण के मानव-सामाजिक पहलू	150

	5. वन, वन्यजीव, जैव विविधता और पर्यावरण और अन्य क्षेत्र से संबंधित शासन, नीति और कानून, वानिकी, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित नीति और कानून 6. ट्रांस-सेक्टोरल विषय, थीम और विषय - वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए निहितार्थ, चुनौतियाँ और अवसर (बदलते परिदऋश्यों और उभरती चुनौतियों के लिए अनुकूलन - अर्थव्यवस्था, बाजार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा संक्रमण, शहरीकरण, उद्योग में विघटनकारी और प्रणालीगत परिवर्तन, खनन और बुनियादी ढांचा विकास) 7. प्रबंधन, कार्मिक और प्रशासन	125 100 125
	उप-कुल (समूह ख विषय क्षेत्र)	500
III.	समूह ग: विषय क्षेत्र	
	8. वैज्ञानिक और तकनीकी अनुप्रयोग और कौशल 9. वनों, वृक्ष आवरण, वन्य जीवन, परिदृश्य और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, विकास और प्रबंधन	125 300
	उप-योग (समूह ग विषय क्षेत्र)	425
IV.	ग्रुप घ: इंटर्नशिप (ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी)), स्वतंत्र अध्ययन के प्रोजेक्ट/ पाठ्यक्रम और वैकल्पिक पाठ्यक्रम	
	1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के काडर में वन विभाग, जिला सरकार, वन प्रभाग और वन रेंज के साथ चरण आईबी के दौरान इंटर्नशिप (ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग) जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विशिष्ट प्रासंगिक विषयों पर स्वतंत्र अध्ययन (सीआईएस) की परियोजनाएं/पाठ्यक्रम शामिल हैं और ओजीटीरिपोर्टें 2. चरण 1क और 2 के दौरान आईजीएनएफए में स्वतंत्र अध्ययन परियोजना/पाठ्यक्रम (सीआईएस)-1 और वैकल्पिक पाठ्यक्रम-3	200 200
	उप-योग (समूह घ)	400
V.	कुल अंक	1700
VI.	समूह क, ख और ग के विषय क्षेत्रों के कुल अंकों में अनुसूची लेखांकन के भाग II में उल्लिखित अभ्यास, पर्यटन और भ्रमण के लिए अंकों का योग अकादमिक परिषद द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम और अधिकतम क्रमश: पच्चीस प्रतिशत और तीस प्रतिशत होगा।	

भाग 2

अभ्यास, पर्यटन और भ्रमण

निम्नलिखित में से सौंपे गए अभ्यास, पर्यटन और भ्रमण पाठ्यक्रम, सुसंगत पाठ्यक्रमों की विस्तृत विषय वस्तु और डिजाइन और अकादमी परिषद की सिफारिशों के आधार पर निदेशक द्वारा पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक प्रशिक्षण बैच के अनुदेशों के अनुसार निष्पादित और किए जाएंगे।

क. अभ्यास:-

(क) पारिस्थितिकी और संरक्षण विज्ञान और प्रबंधन में क्षेत्र पद्धतियां और प्रौद्योगिकियां;

(ख) वन अग्नि मानचित्रण;

(ग) भूमि सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी, वन क्षेत्रमिति, वन बायोमेट्री/इन्वेंटरी;

(घ) मृदा और जल संरक्षण उपाय और वाटरशेड प्रबंधन;

(ङ.) वन्यजीव प्रौद्योगिकियां; वन और वन्यजीव अपराध का पता लगाना;

(च) गैर-वन परिदृश्यों के लिए प्रबंधन योजना-वन कार्य योजना विनिर्मिति, वन बहाली योजना, वृक्षारोपण, शोषण और नवीकरण/पुनर्वनीकरण योजना का निर्माण;

(छ) संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन योजना, प्रजाति पुनर्प्राप्ति योजना; और

(ज) परियोजना योजना और विनिर्मिति, संविदा प्रबंधन और खरीद प्रसंस्करण।

अंक: - समूह क, ख और ग के विषय क्षेत्रों में पूर्ण अंकों के योग के क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम 10% और 12.5% के अधीन कुल अंक अकादमी परिषद द्वारा अवधारित किए जाएंगे और अभ्यासों के बीच अंकों का आवंटन प्रत्येक बैच के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए अकादमी के निदेशक द्वारा किया जाएगा।

ख. पर्यटन और भ्रमण:-

(क) वनों और संबंधित परिदृश्यों, वन वनस्पतियों और जीवों की विशेषताओं और विशेषताओं से परिचित होने के लिए परिचयात्मक दौरा; और विभिन्न वानिकी संचालन और प्रथाओं और संबंधित कारकों आदि से परिचित होना।

(ख) देश में विभिन्न क्षेत्रों या भू-आकृतियों में आम तौर पर तीन दौरे होंगे, जो मोटे तौर पर विषय क्षेत्रों में विषयों या विषयों को कवर करेंगे और पाठ्यक्रमों में इनपुट को पूरक और पूरक करेंगे।

(ग) भ्रमण: अकादमी द्वारा सौंपे गए, निर्देशित या आयोजित किए गए पाठ्यक्रमों में इनपुट से संबंधित अवलोकन, अनुभवात्मक और अन्य गतिविधि-आधारित शिक्षण गतिविधियों के लिए स्थानीय भ्रमण।

(घ) वन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रथाओं, अनुसंधान और विकास पहलों और सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने के लिए चयनित विदेशी देशों में विदेशी वानिकी प्रथाओं का विशेष प्रदर्शन।

अंक:- समूह क, ख और ग के विषय क्षेत्रों में पूर्ण अंकों के योग के क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम 15% और 17.5% के अधीन कुल अंक अकादमी परिषद द्वारा अवधारित किए जाएंगे और पर्यटन और भ्रमण के बीच अंकों का आवंटन प्रत्येक बैच के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए निदेशक द्वारा किया जाएगा।

अत्यावश्यकता के मामले में या अन्य परिचालन कारणों से निदेशक द्वारा तय किए गए अनुसार पर्यटन और भ्रमण की संख्या अलग-अलग हो सकती है या इन्हें संयुक्त रूप से संचालित किया जा सकता है।

भाग 3

अर्हित विषय और कौशल

(क) क्षेत्रीय भाषा :परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परीक्षा निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित आवंटित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र काडर के विरूद्ध विनिर्दिष्ट भाषा में की जाएगी। संबंधित काडर के सामने एक से अधिक क्षेत्रीय भाषा दिखाए जाने की स्थिति में, अकादमी के निदेशक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से और विषय वस्तु पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिचितता के बारे में सुनिश्चित करके क्षेत्रीय भाषा के समनुदेशन का निर्णय ले सकते हैं।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र काडर	क्षेत्रीय भाषा
1.	आंध्र प्रदेश	तेलुगु या उर्दू
2.	असम-मेघालय	असमिया, बंगाली, खासी या गारो
3.	बिहार	हिंदी
4.	छत्तीसगढ	हिंदी
5.	गुजरात	गुजराती

6.	हरियाणा	हिंदी या उर्दू
7.	हिमाचल प्रदेश	हिंदी
8.	झारखंड	हिंदी
9.	कर्नाटक	कन्नडा
10.	केरल	मलयालम
11.	मध्य प्रदेश	हिंदी
12.	महाराष्ट्र	मराठी
13.	मणिपुर-त्रिपुरा	मणिपुरी, बंगाली या हिंदी
14.	नागालैंड	रोमन लिपि में नागामेसी
15.	ओडिशा	ओरिया
16.	पंजाब	पंजाबी (गुरुमुखी लिपि में) या हिंदी
17.	राजस्थान	हिंदी
18.	सिक्किम	नेपाली
19.	तमिलनाडु	तामिल
20.	तेलंगाना	तेलुगु या उर्दू
21.	उत्तर प्रदेश	हिंदी
22.	उत्तराखंड	हिंदी
23.	पश्चिमी बंगाल	बंगाली या हिंदी
24.	अरुणाचल प्रदेश, गोवा मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र	असमिया, हिंदी, मलयालम मराठी, तमिल, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी या गुजराती

(ख) राजभाषा: राजभाषा में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, भले ही किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन किया हो।

(ग) प्राथमिक चिकित्सा और एम्बुलेंस ड्रिल, हथियार प्रशिक्षण, तैराकी, घुड़सवारी, जंगल जीवन रक्षा कौशल, अन्य बाहरी क्षेत्र और साहसिक कौशल: अनिवार्य और वैकल्पिक कौशल अकादमी के निदेशक द्वारा विहित किए जाएंगे।

[फा. सं. 11058/06/2022-अ.भा.से.]

कविता चौहान, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2023

G.S.R. 862(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Service Act, 1951 (61 of 1951) and in supersession of the Indian Forest Service (Probationers' Final Examination) Regulations, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title and commencement –

(1) These regulations may be called the Indian Forest Service (Probationers' Training and Evaluation) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these Rules, unless the context otherwise requires-

(a) "Academy" means the Indira Gandhi National Forest Academy;

(b) "Academic Council" means the Academic Council constituted under Rule 9;

(c) "Director" means the Director of the Academy;

(d) "internal assessment" means the assessment of the probationers based on general discipline and personality by the Academy; and

(e) "Schedule" means Schedule appended to these rules.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Indian Forest Service (Probation) Rules, 1968 shall have the same meaning as assigned to them in the said rules.

3. Training format, content and curriculum: -

(1) The format and contents of the training at the Academy shall be as follows, namely:

Phase	Duration	Contents
IA	Thirteen months	Curriculum components at Academy as specified in the Schedule
IB	Four months	Curriculum components as specified in the Schedule during Internship On-the-Job Training in cadre States and Union territories
II	Three months	Curriculum components at Academy as specified in the Schedule
Total	Twenty months	

(2) The curriculum framework of the training may comprise of core courses, elective courses, internship projects or courses of independent studies and report work in the subject areas prescribed in Part I of the Schedule with the corresponding assignment of marks mentioned therein;

Provided that the Academic Council may modify the distribution of marks among the subject areas in the groups A, B and C subject to maximum of twenty percentage in a group and ten percentage among the groups ensuring that the weightage for each group remains in the range of twenty-five percentage to forty percentage of the aggregate of these groups.

(3) The core courses with broad listing of topics and themes in the pre-arranged subject areas and the allocation of elective courses and projects or courses of independent studies in the subject areas or related fields of study shall be as specified and shall be dealt with during the training phases in the order and manner as may be determined by the Director on the recommendation of the Academic Council.

(4) The detailed syllabus, contents and inputs in the courses shall be as may be determined by the Director for each batch at the commencement of the training program.

(5) The training inputs and engagements shall consist of theoretical and practical studies, exercises, hands-on learning, tours, excursions, internship or attachments related to the prescribed subject areas and shall be dealt with in the core courses, elective courses and projects or courses of independent studies or other similar academic or training module as may be determined by the Director on the recommendation of the Academic Council.

(6) The exercises, tours and excursions shall be as specified in Part II of the Schedule.

(7) The teaching-learning activities shall comprise of class-room and laboratory sessions, assignments and attachments, exercises, tours and excursions utilizing various modes of learning engagements as may be determined by the Director for each batch at the commencement of the training program.

4. Qualifying subjects and skills: - Every probationer shall be required to obtain such standards of proficiency in the subjects and skills mentioned in Part III of the Schedule.

5. Evaluation: -

(1) Every probationer shall be evaluated during the training, subject to these rules through various methods of assessment including the following:

(a) written and practical examinations;

(b) assignments and project work;

(c) exercises, skills, tours and excursions;

(d) qualifying tests; and

(e) internal assessment.

(2) The evaluation under sub-rule (1) shall be held at the Academy or at other places and in such manner as may be deemed fit by the Director.

(3) The schedule for conducting various evaluations shall be fixed by the Director.

(4) Final evaluation of performance in terms of marks shall be as follows:

S. No.	Item of evaluation	Marks
1.	(a) Core courses in subject areas and exercises, tours and excursions prescribed in rule 3 and mentioned in Part I and Part II of the Schedule	1300
	(b) Projects or Courses of Independent Studies, Elective Courses and On-job-training reports	400
	Sub-total	1700
2.	Internal Assessment	300
3.	Total	2000
4.	Qualifying tests	75

(6) Internal assessment: -

(1) The maximum internal assessment of two-hundred fifty marks shall be awarded by the Academy based on general discipline and personality development during the training in Phase 1A and II and evaluated as per the standards determined by the Academy.

(2) The internal assessment of fifty marks on general discipline and personality development during Phase IB of the training shall be awarded by the concerned designated authority in their respective Cadre States or Union territories.

7. Attendance in the training programme, other trainings and courses etc.– Every probationer shall attend and participate in all components of the training programme and all assessment tests and examinations for evaluations specified under these rules and attend such other non-evaluated training items or courses or attachments with organisations and institutions as may be decided by the Director.

8. Minimum pass standards for evaluations in the assessments or examinations and standards for qualifying tests: -

(1) Every probationer shall obtain a minimum of fifty percentage of marks in assessments or written and practical examinations in the courses of studies, exercises and tours, to pass in the evaluation prescribed under rule 5.

(2) For the qualifying tests under rule 4, the probationer shall be required to attain such standards of proficiency as the Director of the Academy may determine.

9. Academic Council: -

(1) The Academic Council shall steer the training of the Probationers determined under these rules and undertake monitoring, reviewing, updating and improvement works for ensuring high standards.

(2) The Academic Council shall consist of the following members, namely.-

1.	Director, Indira Gandhi National Forest Academy	Chairperson;
2.	Additional Director General of Forests, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India	Member;
3.	Additional Director, Indira Gandhi National Forest Academy	Member;
4.	Three faculty members of Indira Gandhi National Forest Academy, as under: Professor (In charge, In-service Training), Additional Professor and Controller of Examinations, Associate Professor to be nominated by the Director	Members;
5.	Director, Directorate of Forestry Education, Dehradun	Member;

6.	Joint Secretary (Training), Department of Personnel and Training, Government of India	Member;
7.	Inspector General of Forests/ Joint Secretary, Indian Forest Services Division,Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India	Member;
8.	Director General, Indian Council of Forestry Research and Education or an officer not below the rank of Deputy Director General, nominated by the Director General, Indian Council of Forestry Research and Education	Member;
9.	Director, Wildlife Institute of India or an officer not below the rank of Scientist 'F' nominated by the Director, Wildlife Institute of India	Member;
10.	Director General, Forest Survey of India or an officer not below the rank of Joint Director nominated by the Director General, Forest Survey of India	Member;
11.	Director, Indian Institute of Forest Management or an officer not below the rank of Professor nominated by the Director,Indian Institute of Forest Management	Member;
12.	Members to be nominated by the Director, Indira Gandhi National Forest Academy Three senior faculty members/ officials from premier institutions or organisations conducting programmes in higher studies or trainings or organizations associated with research, training and academic activities in forestry, wildlife, natural resource management, environment protection, administration or other relevant fields in the Government or Non-Government sector; Two eminent persons from the field of forestry, wildlife, natural resource management, environment, administration or relevant fields. Principal Chief Conservator of Forest and the Head of Forest Force of the State/ Union territories or his representative nominated by the Director Indira Gandhi National Forest Academy on rotation basis.	Member; and
13.	Professor (Academics), Indira Gandhi National Forest Academy	Member Secretary.

(3) The functions of the Academic Council shall include the following, namely: -

(i) Steer, regulate and guide the training programme for each batch as under:

(a) to determine the courses along with the listing of topics and themes under the subject areas under rule 3 and mentioned in Part I of the Schedule;

(b) to recommend or approve curriculum framework with the number and duration of terms during Phase IA and Phase II of the training programme and the term-wise scheduling of the courses.;

(c) to provide guidance for the design of courses, content setting and treatment of the syllabus, topics, themes and detailing thereof to be done by the Academy faculty for the training batches and to recommend alteration in distribution of marks among the subject areas as mentioned in the Part I of the Schedule;

(d) to specify or approve the methods of evaluation and assessment and marking therein including suggestion appropriate component of continuous evaluation;

(e) to recommend the necessary adaptations in the curriculum framework in consonance with contemporary professional and academic practices for bench marking of the training programme subject to the provisions of the Indian Forest Service (Probation) Rules 1968.

(ii) to undertake monitoring, feedback and review of the training program.

(iii) conduct annual workshop of the Principal Chief Conservators of Forests and Members for assessment of the effectiveness of training imparted to the probationers and formulate measures for improvement on regular basis;

(iv) obtain feedback from the field and other stakeholders including periodic conduct of competency-based training needs assessment on triennial basis;

(v) undertake overall review of curriculum framework and methods of evaluation every three years and recommend modifications as deemed appropriate within the provisions of these rules;

(vi) to guide research activities on training and related academic activities;

(vii) to guide the faculty development programme;

(viii) to consult specialised bodies and institutions for infusing new technologies, developing mechanism for institutional tie-up with national and international organisations in the field of the forestry, environment, wildlife, and human resource capacity building.;

(4) The Academic Council shall meet at least twice in a year and the quorum for the meetings shall be one third of the council membership.

(5) The Academic Council shall resolve any incidental matters in course of implementation of the provisions of these rules, in accordance with the provisions of the Indian Forest Service (Probation) Rules, 1968.

SCHEDULE

Part I

I.	Group A: Subject Areas	Marks
	1. Overview – Forestry, Wildlife Preservation and Environment Protection;	50
	2. Life Sciences and Ecology of Forests and Other Ecosystems	125
	3. Biophysical Environmental Aspects of Forests and Other Ecosystems; Science and Technology of Environment Protection and Management and Climate Change	200
	Sub-total (Group A Subject Areas)	375
II.	Group B: Subject Areas	
	4. Human-Social Aspects of Forestry, Wildlife and Environment	150
	5. Governance, Policy and Laws related with Forests, Wildlife, Biodiversity and Environment and Other Sector Policy and Laws interfacing with forestry, environment and natural resource management	125
	6. Trans-Sectoral Subjects, Themes and Topics – Implications, Challenges and Opportunities for Forestry, Environment Protection and Natural Resource Management (Adaptation to Changing Scenarios and Emerging Challenges – Disruptive and systemic transformations in Economy, Markets, Technology, Energy transitions, Urbanization, Industry, Mining and Infrastructure Development)	100
	7. Management, Personnel and Administration	125
	Sub-total (Group B Subject Areas)	500
III.	Group C: Subject Areas	
	8. Scientific and Technological Applications and Skills	125
	9. Conservation, Development and Management of Forests, Tree Cover, Wildlife, Landscapes and Ecosystems	300
	Sub-total (Group C Subject Areas)	425
IV.	Group D: Internship (On-the-Job Training (OJT)), Project/Courses of Independent Studies and Elective Courses	
	1. Internship (On-the-Job Training) during Phase IB with Forest Department, District Government, Forest Division and Forest Range in the cadre State/Union Territory including Projects/Courses of Independent Study (CIS) on State/UT specific relevant themes / topics and OJT Reports	200
	2. Project/Course of Independent Study (CIS) -1 and Elective Courses – 3 at IGNFA during Phase 1A and II	200

	Sub-total (Group D)	400
V.	Total Marks	1700
VI.	The sum of marks for the Exercises, Tours and Excursions mentioned in Part II of the Schedule accounting in the total marks of the subject areas of Groups A, B and C shall be as specified by the Academic Council subject to the minimum and maximum of twenty five percentage and thirty percentage respectively.	

Part II

EXERCISES, TOURS AND EXCURSIONS

The exercises, tours and excursions assigned from the following shall be performed and undertaken as per instructions for each training batch to be tutored by the Director based on curriculum, detailed content and design of the relevant courses, and the recommendations of the Academic Council.

A. Exercises: -

(a) Field Methods and Techniques in Ecology and Conservation Science and Management;

(b) Forest Fire Mapping;

(c) Land Survey Techniques, Forest Mensuration, Forest Biometry/Inventory;

(d) Soil and Water Conservation Measures and Watershed Management;

(e) Wildlife Techniques; Forests and Wildlife Crime Detection;

(f) Management Planning - Formulation of Forest Working Plan, Forest Restoration Plan, Plantation Exploitation & Renewal / Reafforestation Scheme for non-forest landscapes;

(g) Protected Area Management Plan, Species Recovery Plan; and

(h) Project planning and formulation, Contract Management and Procurement Processing.

Marks: - Total marks shall be determined by the Academic Council subject to minimum and maximum of 10% and 12.5% respectively of sum of full marks in subject areas of Groups A, B and C and the allocation of marks among the exercises shall be done by the Director of the Academy for the training course of each batch.

B. Tours and Excursions:-

(a) Introductory Tour for familiarisation with features and characteristics of forests and associated landscapes, forest vegetation and fauna; and acquaintance with different forestry operations and practices and associated factors etc.

(b) There shall be normally three tours in different regions or landforms in the country broadly covering the themes or topics in the subject areas and complementing and supplementing the inputs in the courses.

(c) Excursions: Local excursions for observational, experiential and other activity - based learning engagements related to inputs in the courses as assigned, directed or organised by the Academy

(d) Special exposure to overseas forestry practices in selected foreign countries to study the forest and natural resource management practices, research and development initiatives and the best practices.

Marks: - Total marks shall be determined by Academic Council subject to minimum and maximum of 15% and 17.5% respectively of sum of full marks in subject areas of Groups A, B and C and allocation of marks among the tours and excursions shall be done by the Director for the training course of each batch.

The number of tours and excursions may be varied or may be conducted in combined form as decided by the Director in case of exigencies or for other operational reasons.

Part III

Qualifying Subjects and Skills

(a) Regional Language: The probationer shall be examined in the language specified against the allotted State /Union territory cadre as mentioned in the following table. In case of more than one regional language shown against the concerned cadre, the Director of the Academy may decide the assignment of regional language in consultation with the State Government /Union territory Administration and ascertaining about the familiarity of the probationer on the subject matter.

S. No.	State / Union Territory Cadre	Regional Language
1.	Andhra Pradesh	Telugu or Urdu
2.	Assam-Meghalaya	Assamese, Bengali, Khasi or Garo
3.	Bihar	Hindi
4.	Chhattisgarh	Hindi
5.	Gujarat	Gujarati
6.	Haryana	Hindi or Urdu
7.	Himachal Pradesh	Hindi
8.	Jharkhand	Hindi
9.	Karnataka	Kannada
10.	Kerala	Malayalam
11.	Madhya Pradesh	Hindi
12.	Maharashtra	Marathi
13.	Manipur-Tripura	Manipuri, Bengali or Hindi
14.	Nagaland	Nagamese in Roman Script
15.	Odisha	Oriya
16.	Punjab	Punjabi (in Gurumukhi script) or Hindi
17.	Rajasthan	Hindi
18.	Sikkim	Nepali
19.	Tamil Nadu	Tamil
20.	Telengana	Telugu or Urdu
	Uttar Pradesh	Hindi
	Uttarakhand	Hindi
	West Bengal	Bengali or Hindi
	Arunachal Pradesh, Goa Mizoram and Union Territories	Assamese, Hindi, Malayalam Marathi, Tamil, Urdu, Kashmiri, Dogri or Gujarati

(b) **Official Language:** Qualifying the Official language shall be compulsory even if a probationer has studied Hindi as language.

(c) First aid and Ambulance Drill, Weapons Training, Swimming, Equitation, Jungle Survival Skills, other outfield and adventure skills: The mandatory and optional skills shall be prescribed by the Director of the Academy.

[F. No. 11058/06/2022-AIS-III]

KAVITA CHAUHAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.11.25 13:17:16 +05'30'